**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**12.03.2025 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2226 का उत्तर**

**छोटे खानपान लाइसेंसधारियों की समस्याएं**

**2226. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले छोटे खानपान लाइसेंसधारियों की समस्या से अवगत है;**
**(ख) यदि हां, तो आईआरसीटीसी ने वर्ष 2012 से रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाइसेंसधारियों द्वारा बेची जा रही चाय-पकौड़ा आदि वस्तुओं की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की है;**
**(ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 में रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर छोटे खानपान लाइसेंसधारियों द्वारा बेची जा रही वस्तुओं की दरें निर्धारित की गई थीं;**
**(घ) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड/क्षेत्रीय रेलवे, विशेष रूप से उत्तर रेलवे द्वारा चाय, कॉफी, पूरी, पकौड़ा आदि खाद्य वस्तुओं की दरों में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;**
**(ङ) छोटे खानपान लाइसेंसधारियों की समस्याओं के समाधान तथा उनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और**
**(च) सरकार द्वारा एकसमान नीति तैयार करने तथा भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (च): रेलवे द्वारा समय-समय पर छोटे खान-पान लाइसेंसधारकों और उनके संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। उनकी चिंताओं की मैरिट के आधार पर जांच की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।**

**वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 53/2018 के तहत चाय/कॉफी की दरों को संशोधित किया गया था और अन्य मानक मदों की दरों को वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 64/2019 के तहत संशोधित किया गया था। इसके अलावा, खानपान नीति 2017 में दी गई शक्तियों के तहत क्षेत्रीय रेलों और आईआरसीटीसी द्वारा अन्य ए-ला-कार्टे मदों की दरों में संशोधन किया जाता है।**

******